फर्द अहकाम

अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

उप जिला कलेक्टर   गंगापुर सिटी

मुकदमा .... नं० .... सन् ....

मानसिंह वगैरा   किशन वगैरा   135 / 5.12.15

तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज 2015/00143	2015 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	04.12.2015 यह दावा वादीगण मानसिंह वगैरा जाति बैरवा निवासी संजय कोलोनी गंगापुर सिटी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादीगण के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 23.12.2015 को पेश हो।	
	23-12-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/~~प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-16 को पेश हो। रीडर	
	5-1-16 वकील वादीगण उप० है। प्रतिवादी नं० 1 की ओर से श्री बाबूलाल गुप्ता एड० ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने फर्द के साथ दो किता दस्तावेज पेश किए। प्रतिवादी नं० 2, 3 गत पेशी से ही अनुपस्थित हैं। अत: प्रतिवादी नं० 2, 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब दावा प[illegible] दि० 23-2-16 को पेश हो।	
	23-2-16 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-3-16 को पेश हो। प्रति० नं० 1 की ओर से श्री हकमसिंह गुर्जर एड० ने वकालतनामा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत	उप जिला कलेक्टर	गंगापुर सिटी
	मानसिंह वगैरा	मुकाम किशन वगैरा
	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	बनाम 2015
मुकदमा		नं० 1/15 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	04.12.2015 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण मानसिंह वगैरा जाति वैश्य निवासी संजय कालोनी गंगापुर सिटी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रार्थीगण के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 23.12.2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	23-12-15 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उपस्थित~~ उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-16 को पेश हो। रीडर	
	5-1-16 वकील वादीगण व वकील अप्रार्थी नं० 1 उपस्थित है। अप्रार्थी नं० 2, 3 गत पेशी से अनुपस्थित है। अत: इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी ने फर्द के साथ दो किता दस्तावेज पेश किए। वास्ते जवाब पत्रावली दि० 23-2-16 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	23-2-16 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~ उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-3-16 को पेश हो। रीडर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
145/2015	4.12.2015	5-3-2020

1. मानसिंह पुत्र कंचन, वैरवा निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी
2. विमला पुत्री कंचन पत्नी मंगल, वैरवा निवासी कुडगॉव तह0 करौली
3. सुशीला पुत्री कंचन पत्नी हरि, वैरवा निवासी क्यारदा तह0 खंडार
4. गंगा पुत्री कंचन पत्नी रामपाल, वैरवा निवासी मानपुर तह0 सपोटरा हॉल निवासी सेक्टर 48, संजय कॉलोनी फरीदाबाद
5. शांति पुत्री कंचन पत्नी जयराम, वैरवा निवासी मकनपुर तह0 सपोटरा हॉल निवासी सेक्टर 48, संजय कॉलोनी फरीदाबाद
6. मंगली पत्नी कंचन, वैरवा निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

वनाम

1. किशन पुत्र लक्ष्मण कोली निवासी ग्राम लोधा तह0 नादौती जिला करौली
2. सबरजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि हॉल खसरा नम्बर 739 रकवा 1.00 है0 ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी सायल संख्या 1 ता 5 के पिता व सायल संख्या 6 के पति स्व0 कंचन पुत्र पॉच्या बैरवा निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। स्व0 कंचन के साथ सायलान गंगापुर सिटी मे निवास करते है तथा कंचन के साथ एवं कंचन की मृत्यु के बाद सायलान ही उक्त आरजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हॉल ख0न0 739 रकवा 1.00 है0 भूमि का पुराना खसरा नम्बर 481 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा था जो कि साविक रिकार्ड मे कंचन के पिता पॉच्या पुत्र हन्डू के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा पॉच्या की मृत्यु के उपरान्त भूमि कंचन के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 ग्राम चूली पैतृक भूमि है जिसमे कंचन व सायलान का प्रत्येक का हिस्सा [illegible], 1/7 रहा है। खातेदार कंचन का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी मृत्यु के उपरान्त सायलान भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 पर [illegible] सायलान के पिता कंचन पुत्र पॉच्या नशे के आदि थे अपने नशे की पूर्ति के लिए ग्राम चूली निवासी अर्जुन पुत्र मोतीलाल गुर्जर, कंचन को रूपया उधार देता रहता था उल्टे सीधे खाली स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवाता रहता था। दिनांक 26.6.2000

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

को अर्जुन गुर्जर ने कंचन की जमीन को गिरवी रखकर रूपये देने का बहाना बनाकर उपपंजीयक कार्यालय गंगापुर सिटी ले गया तथा वहॉ दिनांक 26.6.2000 ग्राम चूली स्थित सायलान की पैतृक भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 जो राजस्व रिकार्ड मे कंचन के नाम खातेदारी दर्ज थी का पंजीकृत विक्रय पत्र गैरसायल संख्या 1 किशन पुत्र लक्ष्मण कोली ग्राम लोधा तह0 नादौती के नाम करवा दिया तथा रामखिलाडी व पप्पू गुर्जर निवासी चूली जो कि अर्जुन के नजदीक मिलने वाले थे के गवाह के नाते उक्त विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। पंजीकृत विक्रय पत्र मे एक लाख रूपय विक्रय मूल्य देना व भूमि पर कब्जा गैरसायल संख्या 1 का करा देना लिखवा दिया। जबकि कोई एक लाख रूपये की राशि कंचन को नही दी गई तथा कब्जा भी गैरसायल संख्या 1 किशन को नही दिया गया। उक्त भूमि पर कब्जा लगातार कंचन व सायलान का बना रहा है तथा वर्तमान मे भी सायलान ही भूमि पर काबिज है बिना प्रतिफल लिए विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 शून्य व प्रभावहीन है। कंचन हमेशा नशे मे रहता था इस कारण बिना सोचे समझे किया गया विक्रय पत्र शून्य एवं प्रभावहीन है। विक्रय पत्र की कंचन को कोई जानकारी नही थी तथा कंचन ने अपने जीवनलाल मे कभी भी उक्त आराजी के बेचान करने बाबत सायलान से नही कहा था। सायलान को भी उक्त विक्रय पत्र की कोई जानकारी नही थी। विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 साजिशी व फर्जी है तथा स्व. कंचन को धोखा देकर कराया गया है। उक्त भूमि पैतृक भूमि थी जिसमे कंचन का सिर्फ 1/7 हिस्सा था शेष 1/7–1/7 हिस्सा सायलान के थे ऐसी स्थिति मे उक्त कंचन को सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.00 है0 को विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार नही था। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 विरूद्ध कानून व शून्य होने के कारण सायलान विरूद्ध बेअसर है व सायलान उक्त आराजी को अपने नाम घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है। विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को विधि शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने के अधिकारी है। सायलान संख्या 1 ता 5 के पिता व सायलान संख्या 6 के पति कंचन ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व कहा था कि मेने भूमि को अर्जुन गुर्जर के यहॉ चालिस हजार रूपये मे रहन रखी है उक्त [illegible] अर्जुन को देकर भूमि रहन से छुडवा लेना, कंचन की मृत्यु दिनांक [illegible] 2014 को हो गई। इसके पश्चात सायलान रामफल व रामसिंह को लेकर अर्जुन के यहॉ ग्राम चूली मे रूपये जमा करवाने गये तब अर्जुन ने सायलान के साथ गाली गलोच की और कहा कि मैने तो तुम्हारे नशेलची पिता से किशन कोली निवासी लोधा के नाम विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा ली है और कंचन को कोई रूपया भी नही दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है तुम्हे जो करना है कर लो। इसके उपरान्त दिनांक 2.3.2015 को सायलान ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की तब उक्त फर्जी विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी सायलान को हुई। इसके उपरान्त दिनांक 28.6.2015 को सायलान बद्रीलाल तथा रतनलाल को लेकर गैरसायलान संख्या 1 के ग्राम लोधा, किशनकोली के पास गये तथा उसके विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 के सम्बन्ध मे वार्ता की तब किशन ने कहा कि कंचन को मैने एक रूपया नही दिया है, कंचन ने मुझे मौके पर कब्जा भी नही संभलवाया है। तथा मौके पर मेरा भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 किशन एवं सायल मानसिंह ,बद्री व रतन के मध्य दिनांक 28.6.2015 को जो वार्ता हुई उसकी एक वीडियो रिकार्डिंग व वार्ता की रिकार्डिंग तैयार की है। दिनांक 29.11.2015 को सायलान अपने खेत खसरा नम्बर 739 रकवा 1.00 है0 की देखभाल कर रहे थे तो इतने मे गैरसायल संख्या 1 के साथ चार पॅांच आदमी आ गये और सायलान को खेत पर से चले जाने की धमकी दी तथा सायलान के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे दखल दिया। उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने व राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करवाने की धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान संख्या 1 को जरिए अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि ख0न0 739 रकवा 1.00 है0 ग्राम चूली मे सायलान के कब्जे काश्त मे वाधा उत्पन्न न करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा गैरसायल संख्या 2 उक्त भूमि का रहन वावत कोई दस्तावेज पेश होतो पंजीकृत ना करे व गैरसायल संख्या 3 ताफैसला दावा रिकार्ड मे कोई परिवर्तन न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाव में अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 739 रकवा 1.00 है0 ग्राम चूली मे तथा भूमि कंचन की खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है। जबावदार ने भूमि क्रय करते समय जमाबंदी देखकर क्रय किया था उस वक्त भूमि कंचन की खातेद[illegible] राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। भूमि मे सायलान का कोई हिस्सा नही है ना ही [illegible] भूमि पर कब्जा है कब्जा क्रय दिनांक से जबावदार का है [illegible] के अभाव मे स्वीकार नही है तथा जो प्रमाणित भी नही है। दिनांक 26.6.[illegible] को भूमि हॉल खसरा नम्बर 739 रकबा 1.00 है0 ग्राम चूली को कंचन ने दिनांक 26.6.2000 को अपनी राजी खुशी व पूरे होश हवास मे अपने घर खर्च वास्ते रूपयो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आवश्यकता होने पर उक्त भूमि को एक लाख रुपये नकद प्रतिफल की एवज मे गवाहो के समक्ष, प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विक्रय जबाबदार को किया था। जिसका पंजीयन तहसीलदार के समक्ष किया गया था। वादग्रस्त भूमि मे सायलान का कोई हिस्सा नही है। उक्त विक्रय पत्र विधि अनुसार पंजीकृत किया गया है जिसे शून्य व प्रभावहीन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जबाबदार भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा क्रय दिनांक से ही जबाबदार उक्त भूमि पर काश्त कर फसल के उपयोग उपभोग से लाभान्वित होता चला आ रहा है। कंचन ने अपने जीवनकाल मे उक्त विक्रय पत्र को कभी चेलेन्ज नही किया किन्तु भूमि की कीमतों मे वृद्धि होने के कारण सायलान की नीयत मे बेईमानी है तथा वे इस कारण जबाबदार से नाजायज पैसा वसूलने के लिए पन्द्रह साल बाद गलत आधारो पर यह मुकदमा लेकर आये है। सायलान ने अपनी टी.आई. को रंग देने के उद्देश्य से व मुकदमा करने के उद्देश्य से झूठा वाक्या बनाकर यह मुकदमा किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। सायलान ने अपने पिता पर ही शर्मनाक आरोप लगाये है। जबाबदार ने दिनांक 20.11.15 को या अन्य किसी दिनांक को सायलान को कभी कोई धमकी नही दी। सायलान ने अपने टीआई को रंग देने के लिए झूठा वाक्या बनाकर मुकदमा दर्ज किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। भूमि पर सायलान का कब्जा नही है तो उनके द्वारा दिनांक 20.11.15 को देखभाल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। सायलान का केस प्राईमाफेसी साबित नही है बल्कि प्राईमाफेसी केस गैरसायलान का बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे नही होकर गैरसायल के पक्ष मे है। अपने जवाब के विशेष विवरण मे गैरसायल ने अंकित है कि जबाबदार वादग्रस्त भूमि का मुताबिक पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 के आधार पर रिकार्डेड खातेदार है तथा क्रय दिनांक से भूमि पर काबिज है तथा सायलान का भूमि पर कब्जा भी नही है कब्जे के अभाव मे टी.आई. सायलान संचलन योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। जबाबदार ने भूमि क्रय करने के बाद उक्त भूमि मे उपज को रखने व रहवास के लिए मकान भी बनाया है जिसमे वर्तमान मे जबावदार की सहमति से उसका साझी राजाराम पुत्र अर्जुन रह रहा है जो कि वादग्रस्त भूमि को बट पर काश्त करता [illegible] ने जानबूझकर उक्त मकान का जिक्र अपने दावे मे नही किया [illegible] सायलान का भूमि पर कब्जा नही है.। सायलान ने विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को शून्य घोषित करवाने हेतु एक टी.आई. [illegible] किशन सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी मे पूर्व मे प्रस्तुत की है इस करण वर्तमान प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

धारा 10 सी.पी.सी. से बाधित होने के कारण निरस्तनीय है। सायल मानसिंह ने जबाबदार के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. थाना गंगापुर सिटी मे वादपत्र के कथित कथनो के आधार पर दर्ज करवाई जिसे पुलिस ने वाद अनुसंधान झूठा मानकर एफ.आर. प्रस्तुत की है। वर्तमान मे भूमि की कीमतो मे वृद्धि होने के कारण एवं जबाबदार से रूपया ऐठनें के लिए सायलान ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि जबाबदार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने के कारण माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने ग्राम पंचायत चूली की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 5.7.2000, शपथ पत्र मुन्नी बैरवा गंगापुर सिटी, टीकाराम बैरवा गंगापुर सिटी, संतरा बैरवा गंगापुर सिटी, मूलचंद बैरवा गंगापुर सिटी, पूरण बैरवा गंगापुर सिटी, भॅवर अरूण बैरवा गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमिएकीकरण, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2026 से 2029, 2050 से 2053, फोटोकॉपी नकल रजिस्टर चकबंदी, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2070 से 73 पेश किये है।

जवाब के समर्थन मे गैरसायल संख्या 1 की ओर से शपथ पत्र रामस्वरूप बैरवा निवासी चूली की बगीची, भूरसिंह निवासी बैरवा चूली की बगीची, पप्पू गुर्जर निवासी चूली, सुरजन गुर्जर निवासी चूली, भगवान सहाय मीना निवासी चूली, लक्ष्मण निवासी चूली की बगीची, श्रीलाल जाटव निवासी चूली की बगीची, प्रकाश जाटव निवासी चूली की बगीची, रामखिलाडी गुर्जर निवासी चूली, रामप्रसाद गुर्जर निवासी चूली, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000, फोटोकॉपी नकल नामान्तकरण सख्या 446 दिनांक 5.7.2000, फोटोकॉपी नकल जमावंदी संवत 2070 से 73, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी इस्तगासा अन्तर्गत धारा 190 सीआर.पी.सी., फोटोकॉपी नकल एफआईआर संख्या 526 दिनांक 8.7.15, नकल एफआर दिनांक 30.7.15, नकल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मानसिंह वगैरा बनाम किशन वगैरा न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी मय आर्डरशीट दिनांक 5.1.16, प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 18:45:37 IST
Reason: SelfAttested

वहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि का पुराना खसरा 481 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा रहा है। जो कंचन की खातेदारी मे दर्ज था। इससे पहले यह भूमि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सायलान के पूर्वजो के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार यह भूमि पैतृक है, जिसमे सायलान का हिस्सा बनता है। इस भूमि का नवीन ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 बना है। इस भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर सायलान का चला आ रहा है। आज भी मौके पर सायलान का ही भूमि पर कब्जा है। ग्राम पंचायत चूली की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 5.7.2000 मे भी गैरसायल के नाम नामान्तकरण खोलने का कोई अंकन नही है। गैरसायल ने कंचन से गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई है जिसे निरस्त करने के लिए सायलान ने सक्षम न्यायालय मे दावा किया हुआ है। अब गैरसायल भूमि के कब्जे काश्त मे सायलान को बाधा उत्पन्न करता है इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावें।

गैरसायल के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल के पक्ष मे है। गैरसायल भूमि का सद्‌भाविक क्रेता है। वर्ष 2000 मे गैरसायल ने सायलान के पिता कंचन से वादग्रस्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी है एवं तभी से भूमि पर गैरसायल का कब्जा है। सायलान ने भूमि खरीद के 14 वर्ष यह दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। रजिस्ट्री यदि फर्जी है तो सायलान को सिविल कोर्ट मे कार्यवाही करनी चाहिए। सायलान ने गैरसायल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी जिसमे पुलिस ने जॉच के पश्चात एफआर प्रस्तुत की है। बदनीयती से सायलान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2026–29, संवत 2050–53, रजिस्टर चक बंदी के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि सायलान के पूर्वज पॉच्या पुत्र हण्डू की खातेदारी मे दर्ज रही है जो विरासत मे सायलान के पिता कंचन पुत्र पाच्या की खातेदारी मे आई है। इस प्रकार यह भूमि सायलान की पैतृक भूमि है। सायलान के पिता कंचन ने यह भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.6.2000 को गैरसायल संख्या 1 को बेचान की है। यह बेचान पत्र सायलान के विरूद्ध कहॉ तक निष्प्रभावी है, इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे पक्षकारो की [illegible] साक्ष्य व सबूतो के आधार पर होना है। जहॉ तक भूमि पर कब्जे का [illegible] तो दोनो ही पक्षो ने इस सम्बन्ध मे विभिन्न व्यक्तियों [illegible] पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे कोई कब्जे की स्थिति स्पष्ट नही होती है। भूमि की विवादित स्थिति को देखते हुए एवं भूमि पैतृक होने के कारण हमारी राय मे वादग्रस्त भूमि की मौका एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए दोनो पक्षकारों को ताफैसला दावा जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस्त प्रकार निर्णित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 स्थित ग्राम चूली तह0 गंगापुर सिटी की उभयपक्षकारान मूल वाद के निर्णय होने तक मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्वर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested